पत्र संख्या–6 / ब0गै0यो0–01–30 / 2016गृ0आ0..................... /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक (बजट, अपील एवं कल्याण)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में सशस्त्र सीमा बल एवं अन्य टुकड़ियों की राज्य में प्रतिनियुक्ति पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–380 / वित्त, दिनांक 16.03.2017 के आलोक में सशस्त्र सीमा बल एवं अन्य टुकड़ियों की राज्य में प्रतिनियुक्ति पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के पत्रांक–5221, दिनांक 06.07.2016 एवं पत्रांक–7635, दिनांक 23.09.2016, पत्रांक–8328, दिनाक 18.10.2016 एवं पत्रांक–2284, दिनांक 17.03.2017 द्वारा पूर्व आवंटित राशि के अतिरिक्त निम्नांकित रूप से कुल ₹ 21,98,13,390 (इक्कीस करोड़ अंठानवे लाख तेरह हजार तीन सौ नब्बे रू0) मात्र आवंटन दिया जाता है :–

क्र0	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	28 01–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	₹ 152,75,99,224	₹ 21,98,13,390	₹ 174,74,12,614

2. उपर्युक्त राशि का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना की मांग सं0–22 मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0009–प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद संबंधित को ही किया जाये।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाली सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

11. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

13. वांछित डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र छह माह के अंदर समर्पित किया जाये।

14. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

15. उपर्युक्त में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/ब0गै0यो0–01–30/2016गृ0आ0...पटना, दिनांक मार्च, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/ब0गै0यो0–01–30/2016गृ0आ0..........2490..........पटना, दिनांक 24 मार्च, 2017

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0, प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/03/17

सरकार के अवर सचिव